

दिनांक	
9 12 / 25	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार अमानत दिलाने पर भी सायलान एवं उमके अपविक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु० नं० 8/ उमवान लखन लाल वनाथ वमल 1.9 ताम्रिा पत्र अस्यावी निवेद्याता अरम पैरवी अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर बार तकनील नं० से रुम वी जाऊ मूल हार्बे के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डो न सिटी (करोली) </p>